<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/5200/2003/नागौर</u>

अर्जुनराम पुत्र श्री गुल्लाराम जाति जाट निवासी रूल्याणी तहसील लक्षमणगढ जिला सीकर

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती धापू बेबा सुगनाराम (नाम तर्क)
2. रामकरण पुत्र सुगनाराम
3. छोटाराम पुत्र सुगनाराम
4. नाथूराम पुत्र सुगनाराम

   समस्त जाति जाटान निवासीगण बाडालोई की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर
5. जेती बेबा लाखाराम
6. रेखी पुत्री लाखाराम
7. बीरमाराम पुत्र लाखाराम
8. भागूराम पुत्र लाखाराम
9. कमली पुत्री लाखाराम
10. दीपाराम पुत्र लाखाराम

    समस्त जाति जाटान निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर
11. तुलछी पुत्री चन्दाराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना हाल निवासी रताउ तहसील लाडनू जिला नागौर
12. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 30.7.2018

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13–8–03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–12–95 से वाद डिक्री कर दिया। अपीलार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 11–9–2000 को संशोधित डिक्री जारी की। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–95 व रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 11–9–2000 से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 13–8–2003के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–95 व रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 11–9–2000 को

निरस्त करते हुये अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने सहायक कलेक्टर डीडवाना के दो भिन्न भिन्न निर्णयों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की जो संधारण योग्य नहीं थी। उक्त दोनों आदेशों को निरस्त कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रस्तुत अपील सीमा अवधि के बाद प्रस्तुत की गई थी। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पर्याप्त कारण नहीं होते हुये भी अपील को अन्दर मियाद मानने में विधिक त्रुटि की है। सुगनाराम प्रतिवादी जिसके प्रत्यर्थी 1लगायत 4 वारिसान हैं,ने अपने हिस्से की भूमि में से लाखाराम को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय कर दी थी। सुगनाराम की भूमि को लाखाराम खरीददार प्रतिनिधित्व कर रहा था। सुगनाराम के स्थान पर लाखाराम वगैरा खरीददार पहले से ही रेकार्ड पर थे।ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सुगनाराम के विरूद्ध वादी का वाद अवेट हो चुका था। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादी सुगनाराम के वारिसान को समयावधि में रेकार्ड पर नहीं लिये जाने से वादी का सम्पूर्ण वाद खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की है।अतःअपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दौराने दावा सुगनाराम का देहान्त होने से वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद खारिज होना चाहिये था क्योंकि सुगनाराम राजस्व रेकार्ड में भूमि का सहखातेदार दर्ज था व

मौके पर वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा काश्त था। इस कारण सुगनाराम व उसके उत्तराधिकारी वाद में आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या31/84 पहले ही प्रस्तुत कर रखा था जो धारा10 जाब्ता दीवानी के अनुसार चलने योग्य नहीं था। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 53 व 188 के तहत प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–12–95 से वाद डिक्री कर दिया। अपीलार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 11–9–2000 को संशोधित डिक्री जारी की। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–95 व रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 11–9–2000 से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 13–8–2003के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–95 व रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 11–9–2000 को

निरस्त करते हुये अपीलार्थी का वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लाखाराम के वारिसान की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कोई एतराज नहीं उठाया कि सुगनाराम का स्वर्गवास हो गया है जिससे वाद वादी नहीं चल सकता। प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 4 ने प्रथम बार यह आपति अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाई। अपीलीय न्यायालय इस आधार पर अपील को स्वीकार नहीं कर सकते कि सुगनाराम का स्वर्गवास होने पर सम्पूर्ण वाद विचारण न्यायालय के समक्ष अवेट हो चुका था। अधिक से अधिक अपीलीय न्यायालय प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर सकती थी ताकि आदेश 22 नियम 5 जाब्ता दीवानी के तहत जिनके समक्ष सुगनाराम का देहान्त हुआ, निर्णित करते। अपीलीय न्यायालय ने मृतक सुगनाराम के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को शून्य मानकर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अधिनियम की धारा53 के तहत प्रस्तुत वाद बटवारे का है जिसमें पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि का विभाजन होता है किसी एक पक्षकार के फौत हो जाने के आधार पर वाद को अवेट नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुगनाराम जिसके कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 वारिसान है उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि लाखाराम प्रत्यर्थी संख्या 5लगायत 10 के पूर्वज को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान की जा चुकी थी और सुगनाराम के हिस्से की भूमि को लाखाराम क्रेता प्रतिनिधित्व कर रहा था। सुगनाराम के स्थान पर खरीददार पहले ही रेकार्ड पर थे। जहां तक इसी आराजी बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पूर्व से ही लम्बित होने का प्रश्न है इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश की नहीं की गई है फिर भी यदि इसी आराजी के बाबत पूर्व से वाद लम्बि होना पाया जावे तो भी दोनों वादों को इकजाई कर निर्णय पारित किया जा सकता

है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक सुगनाराम के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर पक्षकारान की प्लीडिंग के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण किया जावे।

9. चूँकि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायलय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20-8-2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष